रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934
No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अजमेर, 29 जून, 2012

सं. सीयूराज/आर/एफ-35/666(1).—विद्यमान/मौजूदा संविधियों में संशोधन और वृद्धि

शीर्षक
विद्यमान संविधि 2(4) में संशोधन

मौजूदा रूप में	संशोधन उपरांत
2(4), कुलपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद को धारण करेंगे या तबतक जबतक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे.	2(4) कुलपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद को धारण करेंगे या तबतक जबतक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो और वह अपने पद हेतु अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे.
बशर्ते कि पांच वर्ष की उक्त अवधि के बावजूद, वह कार्यालय में अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और वह अपना पदभार ग्रहण कर लेता है.	कोई परिवर्तन नहीं
बशर्ते इसके अतिरिक्ति यह भी कि अतिथि किसी भी कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद उन्हें कुछ निश्चत अवधि के लिए अपने पद पर बने रहने को निर्दिष्ट कर सकते हैं, परन्तु यह अवधि कुल एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी.	कोई परिवर्तन नहीं

2780 GI/12

विद्यमान संविधि 15(1)में वृद्धि

मौजूदा रूप में	संशोधन उपरांत
15(1) विश्वविद्यालय में *नामतः* निम्नलिखित अध्ययन केन्द्र होंगे :- 1. गणित, सांख्यिकी व कंप्यूटेशनल अध्ययन केन्द्र. 2. मानविकी व भाषाओं का अध्ययन केन्द्र. 3. सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 4. वाणिज्य व प्रबंधन अध्ययन केन्द्र. 5. रसायन विज्ञान व फार्मेसी अध्ययन केन्द्र. 6. इंजीनयरिंग व प्रौद्योगिकी अध्ययन केन्द्र.	15(1) विश्वविद्यालय में *नामतः* निम्नलिखित अध्ययन केन्द्र होंगे :- 1. गणित, सांख्यिकी व कंप्यूटेशनल अध्ययन केन्द्र. 2. मानविकी व भाषाओं का अध्ययन केन्द्र. 3. सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 4. वाणिज्य व प्रबंधन अध्ययन केन्द्र. 5. रसायन विज्ञान व फार्मेसी अध्ययन केन्द्र. 6. इंजीनयरिंग व प्रौद्योगिकी अध्ययन केन्द्र. 7. जीव विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 8. भौति विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 9. पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 10. वास्तुकला अध्ययन केन्द्र 11. शिक्षा अध्ययन केन्द्र. 12. विधि अध्ययन केन्द्र. 13. ललित कला अध्ययन केन्द्र. 14. अंतः विषयी स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केन्द्र. 15. कृषि विज्ञान अध्ययन केन्द्र.

विद्यमान संविधि 18(2) में संशोधन

मौजूदा रूप में	संशोधन उपरांत
18(2), विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज के प्राचार्य के पद हेतु चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय की संविधि 18(2) के तहत की जाएगी.	18(2), विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज के प्राचार्य के पद हेतु चयन समिति का गठन इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों अनुरूप किया जाएगा.

डॉ. के. एम. हिरोनी, पंजीयक
[विज्ञापन III/4/असा./24/12]

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Ajmer, the 29th June, 2012

No. CURAJ/R/F. 35/666(1) .— Amendment and Addition to the Existing Statutes

Title
Amendment in the existing Statute 2(4)

As existing	**After amendment**
2(4) The Vice – Chancellor shall hold office for a term of five years from the date of which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and he shall not be eligible for re-appointment :	2(4) The Vice – Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and he **shall be** eligible for re-appointment **for another term :**

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office :	No change
Provided further that the visitor may direct any Vice – Chantellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.	No change

Title
Addition to the existing Statute 15(1)

As existing	After amendment
15 (1) The University shall have the following School of Studies, namely : -	15 (1) The University shall have the following School of Studies, namely : -
(i) School of Mathematics, Statistics and Computational Sciences	(i) School of Mathematics, Statistics and Computational Sciences
(ii) School of Humanities and Languages	(ii) School of Humanities and Languages
(iii) School of Social Sciences	(iii) School of Social Sciences
(iv) School of Commerce and Management	(iv) School of Commerce and Management
(v) School of Chemical Sciences and Pharmacy	(v) School of Chemical Sciences and Pharmacy
(vi) School of Engineering and Technology	(vi) School of Engineering and Technology
	(vii) School of Life Sciences
	(viii) School of Physical Sciences
	(ix) School of Earth Sciences
	(x) School of Architecture
	(xi) School of Education
	(xii) School of Legal Studies
	(xiii) School of Performing Arts
	(xiv) Interdisciplinary School of Health Sciences
	(xv) School of Agricultural Sciences

Title
Amendment in the existing Statute 18(2)

As existing	After amendment
18 (2) Selection committee for the post of Professor, Associate Professor and Assistant Professor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian and Principal of College of Institution maintained by the University shall be constituted as per table mentioned in The Statute of the University 18(2).	18 (2) Selection committee for the post of Professor, Associate Professor and Assistant Professor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian and Principal of College of Institution maintained by the University shall be constituted as **per the extant UGC** regulations **on the subject**.

Dr. K. M. HIRONI, Registrar
[ADVT. III/4/Exty./24/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.